राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 451/2025

सरला भाटी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक –।) शिक्षा विभाग, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.02.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक तृतीय (PTI) के पद पर कार्यरत है। दिनांक 03.07.2015 के जरिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेडतारोड से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दधवाडा, नागौर में स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अनुलग्नक–3 के द्वारा जोधपुर शहर में स्थानांतरण हेतु अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्योवदन प्रस्तुत किया जिसमें पति के स्वर्गवास होने एवं स्वयं की सेवानिवृत्ति में नजदीक होना बताया है तथा स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जिक्र करते हुए आवेदन प्रत्यर्थी विभाग को किया था, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक निस्तारित नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र को यथासम्भव शीघ्र निस्तारित किये जाने के आदेश फरमाया जावे।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी का विभाग में दिए गए अभ्यावेदन की आज दिनांक तक निस्तारण नहीं किया गया एवं अपीलार्थी की प्रार्थना उचित प्रतीत होती है कि शीघ्र निस्तारण हेतु

प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे। राजकीय अधिवक्ता का इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य